



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर ग्रेटर जयपुर

क्रमांक: एफ.9()आ.फा./ज.न.नि./20 | 4530 दिनांक 12/10/2020

स्टेप बाई स्टेप,
शिक्षा समिति जरिये अधिकृत प्रतिनिधि,
श्री रूपेन्द्र पेडीवाल,
पुत्र श्री बी.पी पेडीवाल,
पंजीकृत कार्यालय 33 संजय मार्ग हथरोई,
जयपुर।

विषय:- भूखण्ड संख्या 02 चित्रकुट स्कीम जयपुर में निर्मित स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित स्थल भूखण्ड संख्या 02 चित्रकुट स्कीम जयपुर में निर्मित स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण चाहने हेतु इस विभाग में आवेदन किया है। अतः स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री छोटूराम सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

निर्माण की स्थिति:-
1. स्थल पर एक स्कूल संचालित है तथा 1 लिफ्ट तथा आने जाने हेतु सिडियों का निर्माण किया हुआ है।
अग्निशमन यन्त्रों की स्थिति:-

1. स्थल पर उचित दूरी पर फायर एग्स्टिंग्यूसर लगवा रखे हैं।
2. स्थल पर उचित दूरी पर हाईड्रेन्ट सिस्टम लगवा रखे हैं।
3. स्थल पर उचित दूरी पर एम.सी.पी सिस्टम लगवा रखा है।
4. स्थल पर उचित दूरी पर स्मोक डिटेक्टर लगवा रखे हैं।
5. स्थल पर उचित स्थान पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगवा रखे हैं।
6. अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकता है।
7. स्थल पर पानी के भण्डारण हेतु टैंक बना हुआ है।

वर्तमान में स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरणों व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया। अतः उक्त भूखण्ड पर निर्मित भवन/स्कूल की स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार ही जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तानुसार जारी की जाती है व भविष्य में स्थल पर अग्निशमन उपकरणों की प्रत्याप्त व्यवस्था करनी होगी। आवेदक को एक वर्ष बाद स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त माने जावेंगी। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोप रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी कार्य में बेंचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रेय कार्रवाई की जावे।

1. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने का बाध्य होंगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवादी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये प्रत्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावेगा।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
6. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवम इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगा।
7. भवन में पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी एवम उक्त स्थल पर अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

For STEP BY STEP SHIKSHA SAMITI

SECRETARY

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

Madhu Man
Principal
Jayshree Periwal High School
Ajmer Road, Jaipur